

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-1229 वर्ष 2017

1. लक्ष्मी कांता महतो, पे0 स्वर्गीय गुहीराम महतो, निवासी-मकान सं0-26, कैलाश नगर सोनारी, डाकघर, थाना-सोनारी टाउन, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
2. तपन कुमार कुंडु, पे0 स्वर्गीय खुदी राम कुंडु, निवासी-द्वारा गणेश वर्मा, 35 आर0के0 कॉलोनी (शांति निवास के नजीदक) पायल टॉकीज के पीछे मानगो, डाकघर, थाना-मानगो टाउन जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी0ई0ओ0), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर, थाना-बिस्टूपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा,, जिला-राँची।
- 3 प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर, थाना-धुर्वा, जिला-राँची।

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्तागण के लिए :- मेसर्स एच0के0 महतो, अहल्या महतो अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:- जी0पी0-II के जे0सी0

02/दिनांक:06 मार्च, 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्तागण अल्पसंख्यक स्कूल के अवकाशप्राप्त क्लर्क एवं चपरासी हैं, इनका व्यक्तिगत विवरण नीचे चार्ट में दिखाया गया है:-
3. याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि प्रश्नगत स्कूल सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल हैं और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।
4. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे का पहले प्रत्यर्थी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0—506/2013 और 3 जनवरी, 2014 के अनुरूप मामले जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606—20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

6. उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर—सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

7. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 2—जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी0ई0ओ0), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित

सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

8. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)